

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

ई-मेल  
कुरियर

पत्रांक

13/आवंटन

पटना, दिनांक 18-2-11

गा.वि.-7/एस.जी.एस.वाई. (आवं.)-23/10

प्रेषक,

श्रीकृष्ण त्रिपाठी,  
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,  
भोजपुर ।

विषय : स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में विमुक्त द्वितीय किस्त केन्द्रांश की राशि ₹ 342.00 लाख (तीन करोड़ बियालीस लाख) रुपये के विरुद्ध देय राज्यांश की राशि के रूप में कुल ₹ 114.00 लाख (एक करोड़ चौदह लाख) रुपये मात्र की राशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में आवंटन के संबंध में ।

प्रसंग : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-7085 दिनांक-02.07.2010

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक- J-12014/14/2010-SGSY-I(202) दिनांक-27.01.2011 द्वारा विमुक्त द्वितीय किस्त केन्द्रांश की राशि ₹ 342.00 लाख (तीन करोड़ बियालीस लाख) रुपये के विरुद्ध देय राज्यांश की राशि के रूप में कुल ₹ 114.00 लाख (एक करोड़ चौदह लाख) रुपये मात्र की राशि वर्ष 2010-11 में आवंटित की जाती है ।

- राशि का आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-7085 दिनांक-02.07.2010 द्वारा स्वीकृत राशि से किया जाता है ।
- आवंटित राशि का व्यय मांग संख्या-42, बजट शीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-उप मुख्य शीर्ष-01-एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय-उप शीर्ष-0102-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं विपत्र कोड-पी0-2501018000102 राज्य योजना स्कीम कोड-RUR-5374 के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के अंतर्गत विकलनीय है ।
- आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप विकास आयुक्त-सह प्रबंध निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भोजपुर होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, भोजपुर से की जायेगी ।
- यह आवंटन वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561वि.(2) दि0-17.04.98 एवं पत्रांक-159वि. दि0-20.03.09 की कंडिका-2 में निहित निदेशों एवं शर्तों का अनुपालन कर निर्गत किया जा रहा है ।

20

6. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 वि०(2) दि.-17.04.98 की कंडिका-2 में निहित प्रावधान को विभागीय पत्रांक-3873 दिनांक-12.04.06 द्वारा प्रभावहीन किये जाने के फलस्वरूप आवंटित राशि की एक मुश्त अग्रिम निकासी कर व्यय करने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-8593 दिनांक-17.11.07 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार की जायेगी।
7. उप विकास आयुक्त, भोजपुर से अनुरोध है कि आवंटित राशि की निकासी कर भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शनों के अधीन राशि का व्यय कर कोषागार प्रमाणक एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक आने वाले माह की 5वीं तारीख तक विभाग को नियमित रूप से उपलब्ध करावें एवं ए.सी. बिल से निकासी की गई राशि के विरुद्ध डी.सी. बिल कोषागार एवं महालेखाकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले०हक०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन


  
(श्रीकृष्ण त्रिपाठी) 7/2

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 13/अवक

पटना, दिनांक 18/2/11

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले०हक०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
13/2

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 13/अवक

पटना, दिनांक 18/2/11

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/श्रीमती नीता केजरीवाल, उप सचिव (एस०जी०एस०वाई०), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर/आप्त सचिव, मंत्री, ग्रा०वि०वि०, बिहार, पटना/श्री प्रिय नवीन, आई०टी०मैनेजर/सांख्यिकी सहायक (श्री सुशील कुमार सिन्हा), ग्रा०वि० वि०, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-6) एवं प्रशाखा-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। इसकी एक प्रति प्रशाखा-7 की रक्षी पंजी में संधारित की जायेगी।

  
13/2

सरकार के विशेष सचिव

  
14-2-11